प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 08 सितम्बर, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष, 2026-27 में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत मानक मद-58-आउटसोर्सिंग में सेवाओं हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।

....

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र संख्या-5फ/बजट/2026-27/547, दिनांक 17.07.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष, 2026-27 में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत मानक मद-58-आउटसोर्सिंग में सेवाओं हेतु धनराशि रुपये 5500.00 लाख (रुपया पचपन करोड़ मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 17.07.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्षक-2210-03-110-10-एलोपैथी चिकित्सालय और औषधालय के मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु कुल धनराशि रूपये 4500.00 लाख (रुपया पैंतालीस करोड़ मात्र) पुनर्विनियोग (संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के अनुसार) के माध्यम से अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3. वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रश्नगत राशि का व्यय निर्धारित मद में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गई है।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग वित्तीय वर्ष, 2026-27 में नहीं की जायेगी।

6. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

7. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जायेगा।

8. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृति धनराशि को बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 45,00,00,000 (रुपये पैंतालीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 032 **लेखा शीर्षक** 2210031101000 एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय **मानक मद-**58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नक</u> :- यथोक्त।

भवदीय,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. निदेशक (प्रशासन/चिकित्सा उपकार/भण्डार/पी0एच0सी0/सी0एच0सी0/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त नियन्त्रक, चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/5/7, उत्तर प्रदेश शासन।
8. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

बी0एम-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A005-2026-2027-5 6099 459 2023 6

विषय:-वित्तीय वर्ष, 2026-27 में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत मानक मद-58-आउटसोर्सिंग में सेवाओं मद में ग्रामीण योजना के अन्तर्गत लम्बित भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
032	2210031101000 (एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय)	55 (मकान किराया भत्ता)	2,50,00,00,000 रुपये दो अरब पचास करोड़ मात्र	55,00,00,000 रुपये पचपन करोड़ मात्र	55,00,00,000 रुपये पचपन करोड़ मात्र	45,00,00,000 रुपये पैंतालीस करोड़ मात्र	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	2026-2027
कुल					₹ 55,00,00,000	₹ 45,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
032	2210031101000 (एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	1,00,00,00,000 रुपये एक अरब मात्र	55,00,00,000 रुपये पचपन करोड़ मात्र	45,00,00,000 रुपये पैंतालीस करोड़ मात्र	1,45,00,00,000 रुपये एक अरब पैंतालीस करोड़ मात्र	2026-2027
कुल				₹ 55,00,00,000	₹ 45,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) वित्त (आय व्यय क) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026 दिनाँक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग विभाग द्वारा, वित्तीय वर्ष, 2026-27 में नहीं की जाएगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गई है।

(1) उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष, 2026-27 में उल्लिखित मद में बचत सम्भावित है।

(2) उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से सेवा प्रदाता के माध्यम से रखे गये आउट सोर्सिंग कार्मिकों के मानदेय भुगतान हेतु आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन हेतु निरन्तर धनराशि की मांग की जा रही है। उक्त व्यय भार वहन किये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि रुपये 5500.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

लाख (रुपया पचपन करोड़ मात्र) की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्विष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-65, दिनांक 13 अगस्त, 2026

चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

कपिल देव शर्मा
अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. संबंधित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियन्त्रण), अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2/वित्त लेखा अनुभाग।
6. वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)।

आज्ञा से
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।